अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए 'मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति' की केन्द्रीय प्रायोजित योजना

1. पृ-ठभूमिः

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम जून, 2006 में घो-ित किया गया था। इसमें अल्पसंख्यक समुदायों के मेधावी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की एक योजना कार्यान्वित करने का प्रावधान है।

2. उद्देश्यः

इस योजना का उद्देश्य अल्पंसख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करना है ताकि उन्हें उच्च शिक्षा में अच्छे अवसर, उच्च शिक्षा में उनकी संख्या और उनकी नियोजिता को बढ़ाया जा सके।

3. योजना का क्षेत्रः

यह छात्रवृत्ति, सरकार के ऐसे आवासीय संस्थानों या चयनित पात्र निजी संस्थानों जिन्हें संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा एक पारदर्शी तरीके से अधिसूचित किया गया हो, सहित भारत में किसी सरकारी या निजी उच्चतर माध्यमिक स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए प्रदान की जानी है। यह कक्षा 11 और 12 स्तर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र में तकनीकी तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को भी कवर करेगी जो रा-ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परि-ाद के साथ संबद्ध हैं।

4. पात्रताः

ये छात्रवृत्ति उन छात्रों को प्रदान की जाएगी जिन्होंने पिछली अंतिम परीक्षा में 50% से कम अंक प्राप्त न किए हों, या उसके समकक्ष ग्रेड प्राप्त किया हो और उनके माता-पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्-िाक आय 2 लाख रु. से अधिक न हो।

5. वितरण

रा-ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) के अंतर्गत मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों और पारसियों को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच छात्रवृत्रियों का वितरण, व-र्ा 2001 की जनगणना के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उक्त अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा।

6. छात्राओं के लिए निर्धारण

30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित की जाएंगी। यदि पर्याप्त संख्या में पात्र छात्राएं उपलब्ध नहीं होंगी तो शे-ा निर्धारित छात्रवृत्तियों को पात्र छात्रों को प्रदान किया जाएगा।

7. चयन प्रक्रिया

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रवृत्ति के विपरीत, अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या कम व सीमित है। गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के छात्रों जिनकी न्यूनतम आय होगी, उन्हें आरोही क्रम में प्राथमिकता दी जाएगी। नए आवेदनों पर विचार करने से पहले नवीकरण के आवेदनों का निपटान किया जाएगा।

8. अवधि

छात्रवृत्ति पूरे पाठ्यक्रम के लिए प्रदान की जाएगी। तथापि अनुरक्षण भत्ता एक शैक्षिक व-र् में 10 मास से अधिक अवधि के लिए नहीं दिया जाएगा।

9. छात्रवृत्ति की दर

प्रवेश और पाठ्यक्रम/शिक्षण शुल्क तथा अनुरक्षण भत्ते के लिए निम्नानुसार, संबंधित मद के सामने दर्शाई गई अधिकतम सीमा की शर्त पर, वास्तविक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

(राशि रुपए में)

क्र. सं.	मद	हॉस्टलवासी*	दिवास्कॉलर
1.	कक्षा 11 और 12 कक्षा के लिए दाखिला तथा शिक्षण शुल्क	वास्तविक, अधिकतम 7,000/- रु. प्रति व-र्	वास्तविक, अधिकतम 7,000/- रु. प्रति व-र्
2.	कक्षा 11 और 12 के स्तर के तकनीकी तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए दाखिला एवं पाठ्यक्रम/ शिक्षण शुल्क (कच्चे माल आदि के लिए लिया गया शुल्क/प्रभार सहित)	वास्तविक, अधिकतम 10,000/- रु. प्रति व-र्	वास्तविक, अधिकतम 10,000/- रु. प्रति व-र्
3.	अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए दाखिला तथा शिक्षण शुल्क	वास्तविक, अधिकतम 3,000/- रु. प्रति व-र्	वास्तविक, अधिकतम 3,000/- रु. प्रति व-र्
4.	एक शैक्षिक व-र् में केवल 10 मास के लिए अनुरक्षण भत्ता (अध्ययन सामग्री आदि के लिए खर्च शामिल है)		

	(i) कक्षा 11 और 12 और इस स्तर के तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों सहित	380/- रु. प्रति मास	230/- रु. प्रति मास
	(ii) अंडर ग्रेजुएट तथा पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर अन्य पाठ्यक्रम।	570/- रु. प्रति मास	300/- रु. प्रति मास
	(iii) एम.फिल और पीएच.डी (यह उन शोध कर्ताओं के लिए है जिन्हें विश्वविद्यालय या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई फैलोशिप प्रदान नहीं की जाती है)	1200/- रु. प्रति मास	550/- रु. प्रति मास

*हॉस्टलवासियों में वे छात्र शामिल हैं जो संबंधित स्कूल/संस्थान के हॉस्टल में नहीं रहते हैं लेकिन पेंइग गेस्ट के रूप में रहते हैं या नगरों/कस्बों में किराए के मकान में रहते हैं और वे ऐसे स्थान नहीं हैं जहां उनके माता-पिता रहते हैं।

10 कार्यान्वयन अभिकरणें

यह योजना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।

11 छात्रवृत्ति के लिए शर्तें

(i) ये छात्रवृत्ति उन छात्रों को प्रदान की जाएगी जिन्होंने पिछली अंतिम परीक्षा में 50% से कम अंक प्राप्त न किए हों, या उसके समकक्ष ग्रेड प्राप्त किया हो और उनके माता-पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्निक आय 2 लाख रु. से अधिक न हो। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रवृत्ति के विपरीत, अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्तियों की संख्या नियत है और इसलिए चयन हेतु प्राथमिकता निर्धारित की गई है। गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के छात्रों जिनकी न्यूनतम आय होगी, उन्हें आरोही क्रम में प्राथमिकता दी जाएगी। नए आवेदनों पर विचार करने से पहले नवीकरण के आवेदनों को निपटाया जाएगा।

(ii) इस छात्रवृत्ति को बंद कर दिया जाएगा यदि छात्र पिछली अंतिम परीक्षा में 50% अंक या समतुल्य ग्रेड प्राप्त करने में असफल रहता है। ये छात्रवृत्ति, प्रमाण पत्र/डिग्री/एम. फिल डिग्री/डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त करने में लगने वाली सामान्य अवधि से अधिक समय के लिए प्रदान नहीं की जाएगी।

(iii) ये छात्रवृत्ति एक परिवार में दो से अधिक बच्चों को नहीं दी जाएगी।

(iv) छात्र को उपस्थिति में नियमित होना चाहिए जिसके लिए स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मानदण्ड का निर्धारण किया जाएगा।

(v) एक संस्थान से दूसरे संस्थान में छात्र का आव्रजन शैक्षिक व-र् के दौरान, अपवादजन्य परिस्थियों को छोड़कर छात्र के शैक्षिक भवि-य के हित में प्रायः अनुमन्य नहीं होगी।

(vi) यदि कोई छात्र, छात्रवृत्ति की कोई अन्य निबंधन व शर्त का उल्लंघन करता है तो छात्रवृत्ति को निलम्बित या रद्द किया जा सकता है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन भी सीधे इसको रद्द कर सकते हैं यदि वे योजना को शासित करने वाले विनियमों के उल्लंघन के कारणों से संतु-ट हैं।

(vii) यदि कोई छात्र गलत विवरण/प्रमाण पत्र द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त करता हुआ पाया जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति तत्काल रद्द कर दी जाएगी और दी गई छात्रवृत्ति की ऱाशि को संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के विवेकाधिकार से वसूल किया जाएगा।

(viii) पाठ्यक्रम शुल्क / शिक्षण शुल्क अनुरक्षण भत्ते को छात्र के बैंक खाते में क्रेडिट किया जाएगा।

(ix) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, मंत्रालय से प्राप्त निधियों से संबंधित एक अलग खाता और अभिलेख रखेंगे और इसका मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा या मंत्रालय द्वारा पदनामित किसी अन्य अभिकरण द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा।

(x) इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले छात्र को, इसी प्रयोजन के लिए किसी अन्य छात्रवृति योजना जो इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार / संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा कार्यान्वित की गई है, के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xi) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र जो अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से भी संबंधित हो सकते हैं, इसी प्रयोजन के लिए किसी अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति प्राप्त न करें और केवल एक ही स्रोत से इसे प्राप्त करें, ऐसी छात्रवृत्ति योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले विभागों की एक समिति का गठन करेंगे।

(xii) बाद के व-र्ों में छात्रवृत्तियों के वितरण हेतु धन राशि तभी जारी की जाएगी जब पिछले व-र् जारी की गई धन राशि को उपयोग में लाए जाने संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाए।

(xiii) इस योजना का मंत्रालय या मंत्रालय द्वारा नामित किसी अन्य अभिकरण द्वारा नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाएगा और मूल्यांकन अध्ययन की लागत, योजना के प्रावधान के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा वहन की जाएगी।

(xiv) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, वित्तीय और वास्तविक उपलब्धियों के सभी संगतपूर्ण ब्यौरों को अपनी वेबसाइट पर रखेंगे।

(xv) इन विनियमों को भारत सरकार के विवेकाधिकार से किसी भी समय परिवर्तित किया जा सकता है।

(xvi) संबंधित राज्य सरकार / संघ शासित क्षेत्र प्रशासन छात्रों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों पर कार्रवाई करने और उनकी जांच करने के लिए उत्तरदायी होगा (विकल्पित कार्य प्रवाह के अनुसार) और समयानुसार छात्रवृत्तियों की स्वीकृति के लिए पात्र छात्रों का प्रस्ताव आनलाइन इस मंत्रालय को भेजेगा।

12. प्रशासनिक व्यय

यह स्कीम व-र्-दर-व-र् कार्यान्वित रहनी है, इसलिए कम्प्यूटर में प्रवि-ट किए जाने वाले और कार्य में लाए जाने वाले आंकड़ों की मात्रा की अधिकता के कारण शुरू से ही कार्यकुशल एवं पात्र कार्मिक को लगाना, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होगा कि आंकड़ा-आधारित कम्प्यूटर प्रणाली क्रियाशील रहें। इस उद्देश्य से डिजाइन किए गए कम्प्यूटर प्रोग्राम अर्थात् डाटा प्रवि-टी, संसाधन, विश्ले-ाण, निगरानी, सुधार और ट्रांसफर कार्य में दक्षता प्राप्त, कार्यकुशल एवं पात्र कार्मिक को आवश्यकतानुसार करार आधार पर भी कार्य पर रखा जा सकता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों का रख-रखाव मंत्रालय में समकक्ष विशे-ाज्ञता प्राप्त कार्मिकों द्वारा ही किया जाएगा, जिन्हें करार आधार पर रखा जा सकता है।

प्रशासनिक और प्रशासन से जुड़े लागतों अर्थात् राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और मंत्रालय द्वारा कार्यालय उपकरणों, कम्प्यूटर और सहायक-सामग्रियों, फर्नीचर, आवेदन-प्रपत्र के मुद्रण, विज्ञापनों, कार्मिकों की तैनाती, आदि के व्यय के लिए कुल बजट के अधिकतम 2% का प्रावधान किया जाएगा। इस प्रावधान का उपयोग अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा लगाए गए बाहर के प्रतिि-ठत संस्थानों/अभिकरणों के माध्यम से योजना के मूल्यांकन और निगरानी कार्य के लिए भी किया जाएगा।

13. छात्रवृत्ति का नवीकरण

किसी पाठ्यक्रम के लिए एकबार छात्रवृत्ति प्रदान कर दिए जाने के बाद आगामी शैक्षिणक व-र्ा/सत्र के लिए उसका नवीकरण किया जा सकेगा, बशर्ते कि विद्यार्थी परीक्षा में 50% अंक अर्जित करने के आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे।

14. योजना की घो-ाणा

सम्बद्ध राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्कीम की घो-ाणा अग्रणीय भा-ाा समाचार पत्रों और स्थानीय दैनिकों में विज्ञापन देकर और प्रचार के अन्य उपयुक्त माध्यमों द्वारा यथासमय की जाएगी।

16. वित्तीय सहायता का प्रतिमान

केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को 100% वित्तीय सहायता दी जाएगी।

17. निगरानी और पारदर्शिता

योजना को कार्यान्वित करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राज्य संघ राज्य स्तर पर योजना की वित्तीय और भौतिक कार्य-नि-पादन की निगरानी करेंगे। इस प्रयोजन से सूचना प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी तंत्र की व्यवस्था होगी। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा योजना की वित्तीय और भौतिक प्रगति से संबंधित तिमाही रिपोर्ट मंत्रालय में प्रस्तुत की जाएगी तथा छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे छात्रों के व-र्ावार ब्यौरे रखे जाएंगे, जिसमें स्कूल/कॉलेज/संस्थान, स्कूल/कॉलेज/संस्थान की स्थान स्थिति, सरकारी है या निजी, कक्षा, लिंग, नया या नवीकरण का उल्लेख होगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने आधिकारिक वेबसाइट पर संगतपूर्ण भौतिक एवं वित्तीय ब्यौरों को स्थान देना होगा।

18. मूल्यांकन

योजना की वित्तीय और भौतिक कार्य-नि-पादन के निगरानी का मूल्यांकन कार्य उन ख्यातिप्राप्त संस्थानों/अभिकरणों द्वारा कराया जाएगा, जिन्हें अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मूल्यांकन/प्रभाव अध्ययन के लिए नियत किया गया हो।

19. आवेदन की प्रक्रिया

(i) योजना राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। सभी विद्यार्थियों को इस मंत्रालय की वेबसाइट www.scholarships.gov.in पर आनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।

(ii) नई एवं नवीकरण छात्रवृत्तियां दोनों के लिए दस्तावेजों की सूची जिसे स्कैन एवं अपलोड किया जाना है। निम्नलिखित अनुसार हैः

क) विद्यार्थी का फोटो (अनिवार्य)

ख) संस्थान का सत्यापन प्रपत्र (अनिवार्य)

ग) विद्यार्थी द्वारा आय प्रमाण–पत्र का स्व–घोषणा (अनिवार्य)

घ) विद्यार्थी द्वारा समुदाय का स्व–घोषणा

ङ) नए मामले में : प्रपत्र में भरे गए रूप में 'पिछले शैक्षिक वर्ष की मार्कशीट' का स्वयं प्रमाणित प्रमाण–पत्र (अनिवार्य)

च) नवीकरण के मामले मेंः– प्रपत्र में भरे गए रूप में 'पिछले शैक्षिक वर्ष की मार्कशीट' का स्वयं प्रमाणित प्रमाण–पत्र (अनिवार्य)

छ) मौजूदा पाठ्यक्रम वर्ष के लिए फीस रसीद (अनिवार्य)

ज) विद्यार्थी के नाम का बैंक खाते का प्रमाण (अनिवार्य)

झ) आधार कार्ड (वैकल्पिक)

ञ) आवास प्रमाण–पत्र (अनिवार्य)

*****